



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 23, 2013/ज्येष्ठ 2, 1935

No. 249]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 2013/JYAISTHA 2, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 11 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तृतीय संशोधन)
विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 329(अ).—विदेश मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जे) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं फेमा. 8/2000-आरबी) (अब इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।

(बी) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 3ए में, परंतुक में "केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर (इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर परिभाषित इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास में लगी भारत में निवासी कोई कंपनी और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा वर्गीकृत, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त

कंपनियां," शब्दों के लिए "भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के साथ पठित उस अनुसूची I के तहत विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के लिए पात्र हो," शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. फेमा. 269/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:—मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सा.का.नि. सं. 391(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :

- (i) 19-08-2002 के सा.का.नि. सं. 575(अ)
- (ii) 16-11-2004 के सा.का.नि. सं. 745(अ)
- (iii) 09-02-2005 के सा.का.नि. सं. 61(अ)
- (iv) 14-03-2007 के सा.का.नि. सं. 196(अ)
- (v) 01-05-2009 के सा.का.नि. सं. 300(अ)
- (vi) 01-05-2009 के सा.का.नि. सं. 298(अ)
- (vii) 27-07-2010 के सा.का.नि. सं. 634(अ)
- (viii) 21-12-2012 के सा.का.नि. सं. 914(अ)
- (ix) ————— के सा.का.नि. सं. ———
- (x) 21-12-2012 के सा.का.नि. सं. 917(अ)
- (xi) ————— के सा.का.नि. सं. ———
- (xii) ————— के सा.का.नि. सं. ———o

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th March, 2013

Foreign Exchange Management (Guarantees)
(Third Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 329(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 8/2000-RB, dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:—

1. Short title and commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Third Amendment) Regulations, 2013.

(b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations

In the Principal Regulations, in Regulation 3A, in the Proviso, for the words, “a company resident in India engaged exclusively in development of infrastructure (infrastructure defined by the Reserve Bank from time to time in this regard) and infrastructure financial companies, as categorized by Reserve Bank from time to time,”, the

words “a person resident in India who is eligible to raise foreign currency loan under sub-regulation (1) of Regulation 6 of Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 read with Schedule I thereto,” shall be substituted.

[No. FEMA 269/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General
 Manager-in-Charge

Foot Note:—(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 391 (E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide :

- (i) No. G.S.R.575 (E) dated 19-08-2002
- (ii) No. G.S.R.745 (E) dated 16-11-2004
- (iii) No. G.S.R.61 (E) dated 09-02-2005
- (iv) No. G.S.R.196 (E) dated 14-03-2007
- (v) No. G.S.R.300 (E) dated 01-05-2009
- (vi) No. G.S.R.298 (E) dated 01-05-2009
- (vii) No. G.S.R.634(E) dated 27-07-2010
- (viii) No.G.S.R.914(E) dated 21-12-2012
- (ix) No.G.S.R._____ dated _____
- (x) No. G.S.R.917(E) dated 21-12-2012
- (xi) No.G.S.R._____ dated _____
- (xii) No.G.S.R._____ dated _____